

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्रस्तुति 2 (नियम 11 (4) द्वारा)

विद्या का अधिकार

मर्ज विद्या का अधिकार

विद्या का अधिकार

कार्यालय, जिला शक्ति अधिकारी (ASHOKNAGAR), मध्यप्रदेश

दूरभाषः-

फैक्सः-

ई-मेलः-

क्रमांक: स्कूल आई.डी. - 4630920713525  
प्रति,

दिनांक: - 04/03/2017

प्रबंधक,

(SANSKRUTI-AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL)

वयस्य: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार अधिकार, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्राप्त है।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पर दिनांक 01.01.1900 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राप्तवाचीन को निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - SANSKRUTI-AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL, Punjabi Colony Ward 22 / PAWAR GARH, ASHOKNAGAR को कक्षा Nursery से कक्ष 8 तक के लए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक कालावधि के लए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्थिरता निम्न लखत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी।

- मान्यता वस्तावित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संवर्द्धना की कोई वाप्त्यता कसी भी रूप में वयस्त नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार अधिकार, 2009 (उपाध्यक्ष 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार नियम, 2010 (उपाध्यक्ष 2) के उपर्योग का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बाहर समृद्ध तथा कमज़ोर दर्ता के कक्षा 1 में न्यूट्रिटम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। इस द्वारा मैं, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश देता है ताकि उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभ बाल शक्ति देगा जिस रूप में उसके द्वारा आवार्य व्यवहार को पूरा करते हैं तु इस प्रकार यह एक आवार्य सहायता या अनुदान प्राप्त होता है। किंतु यह न्यूट्रिटम प्रवेश प्रतिशत के अधीन होगा वयस्ते के जहां स्कूल पूर्ण स्कूल शक्ति दी जाती है वहां अधिकार की धारा 12 की उपाधा (1) के बिंदु (क) से (ग) के उपर्योग प्रस्तुत में प्रवेश के लए लागू होगे।
- दैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल की अधिकार की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवहार की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से एक बात उपलब्ध कराता होगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी की परेशन की संयोग नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ कसी भी आलोचना प्रकाश को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इकावर नहीं करेगा-
  - (क) आयु के संदर्भ के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लए दाहित की गई वस्तावित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) परम् जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आपार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
  - कसी स्कूल में प्रारंभ बाल शक्ति पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्कासन नहीं कर्या जाएगा;
  - कसी बालक को पारिक या गाल समृद्ध रूप से प्रता डात नहीं कर्या जाएगा;
  - प्रारंभ बाल शक्ति पूर्ण होने तक बालक को कोई योई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभ बाल शक्ति पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण प्रदिया जाएगा;
  - अधिकार के उपर्योग के अनुसार निःशुल्क व्यवहार अवश्यकता बाल बालकों को समाप्त कर्या जाएगा;
  - अधिकार की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूट्रिटम योग्यता अनुसार शक्तिको की भर्ती की जाएगी; वयस्ते के वर्तमान में कार्यरत जो शक्ति इस अधिकार के प्रारंभ होने पर न्यूट्रिटम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिकार के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 दर्ज की अवधि में निर्धारित न्यूट्रिटम अहंता प्राप्त करनी होगी;
  - शक्तिको अधिकार की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करता होगा;
  - प्रायोगिक टी दंग की गति या धर्यों में शक्ति समृद्ध भाग नहीं लेंगे होंगे।
- स्कूल समृद्ध तथा अधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यवस्था का अनुसरण करेगा।
- अधिकार की धारा 19 में विविध कालावधि के अनुपात में स्कूल में वर्चों का नामांकन कर्या जाएगा।

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]


- स्कूल द्वारा अ परियम की पारा 19 में निरीक्षण स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सु वधाए निम्नानुसार पाई गयी-

सु वधाएँ		पोटल में टजे		वास्त वक स्थिति	
8.	स्कूल के भवन की स्थिति	कराए का भवन		कराए का भवन	
9.	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	222500		32000	
10.	स्कूल का विस्तृत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	12000		12000	
11.	घोल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20000		2000	

अधीसंरचना का वरण						
		Rooms as per RTE	पोटल में टजे	वास्त वक स्थिति		
	कक्ष		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1.	कक्ष आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्ष कक्ष	41	300	41	300	
2.	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यायक कक्ष	8	250	8	250	
3.	भोजनालय-सह-भण्डार	0	0	0	0	

अन्य सु वधाएँ		पोटल में टजे		वास्त वक स्थिति	
1.	क्या सभी सु वधाओं तक पहुंच दाता रहित है हासिली		हैं	हैं	
2.	पाठ्य पाठ्य सामग्री (इस्ताशरित सूची अपलोड करें)		हैं	हैं	
3.	दैलेक्ट एवं बैल उपकरण (इस्ताशरित सूची अपलोड करें)		हैं	हैं	
4.	पुस्तकों की संख्या		3000	3000	
5.	परिकार समाचार पत्र		10	10	
6.	पेयजल सु वधा का प्रकार		Tube Well	Tube Well	
7.	पेयजल सु वधा की संख्या		2	2	
8.	शौचालय का प्रकार (आठवीं दण्डिमी स्तरी)		Indian	Indian	
9.	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या		12	12	
10.	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या		12	12	
11.	दाकालय वर्द्धी के लए पृथक शौचालयों की संख्या		1	1	
12.	क्या अपने सुरक्षा उपकरण हैं ? हासिली		हैं	हैं	

- तेवें संपरी क्षत कए जाएंगे तथा चार्टेड पाइपलाइन द्वारा सत्या पत होंगे और 3 घंत सेखा वरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेवाओं के वरणों की एक प्रति परिवर्ष जिला शक्ता अ पकारी को भेजी जाएगी।
- आपके स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..46309207.. एवं डाइस्कोड (DISE) 23460207241 है। इस कार्यालय के साथ पकाचार में यह कोड नम्बर संदर्भ में कर जाए।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शक्ता केन्द्रजिला शक्ता अ पकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार-स्थानीय पालकारी के ऐसे अनुदर्शी का पालन करेगा, जैसा क स्कूल के संचालन की कम्यों को दूर करने के लए अपयोग मान्यता की रही की रिकॉर्ड पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी कर जाए।
- सोसायटी-स्थान, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण क्या जाएगा।
- अन्य शर्त संस्करण उपर्युक्त "तीन" के अनुसार होंगी।
- अन्य परियम के उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद हो जाने पर मान्यता वापस से ली जाएगी।

  
जितेंद्र सिंह  
जिला शक्ता अ पकारी  
जिला ASHOKNAGAR मध्यप्रदेश